न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 19/2023 **GCMS 2023/40**

प्रार्थीगण

1. ईश्वरराम पुत्र दल्लाराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. मोतीराम पुत्र दल्लाराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्राार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

प्रार्थना–पत्र :– अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 10.02.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 17 रकबा 0.32 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि कारकबा 0.32 हैक्टर है परन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने ***DILRMP*** तहत राजस्थान की सभी तहसीलो का राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन किया उस वक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.32 हैक्टर के राजस्व नक्शे में उक्त खसरे के डायग्राम का रकबा 0.04 हैक्टर कम कर दिया गया, प्रार्थीगण की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मं 0.32 हैक्टर अंकित है तथा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा भी 0.32 हैक्टर पर ही है परन्तु राजस्व रेकार्ड के नक्शे के डायग्राम का क्षेत्रफल 0.04 हैक्टर कम कर 0.28 हैक्टर कर दिया गया है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के खातेदारी वाले खसरा नम्बर 17 के डायग्राम का नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट "क" है जिसे प्रार्थना–पत्र का भाग बताया गया है, प्रार्थीगण के खातेदारी वाले खसरा नम्बर 17 के राजस्व नक्शे के डायग्राम में जो त्रुटी की गई है वह एक तकनीकि त्रुटी है तथा उसे दुरूस्त किये जाने से किसी भी अन्य व्यक्तियों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नही पड़ता है, प्रार्थीगण द्वारा बैंक से ऋण लेने हेतु राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे की नकल निकलवाने पर तथा राजस्व नक्शे का नाप निकलवाने पर उक्त त्रुटी की जानकारी प्रार्थीगण को हुई, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि मौजा ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 17 के राजस्व नक्शे के डायग्राम को परिशिष्ट "क" में दर्शाये नजरी नक्शे के डायग्राम को दुरूस्त कर नक्शे के डायग्राम का रकबा 0.32 हैक्टर किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित आये। जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया। शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमांबदी एवं नक्शा की नकल प्रस्तुत की।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की तकनिकी त्रुटी रही है तो स्वीकार्य है। [illegible] अनुसार प्रार्थीगण की दर्ज खातेदारी 0.32 हैक्टर को विधिवत दुरूस्त कर दियो जाना न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, यदि कोई तकनीकी त्रुटी रही है तो न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुरूप शुद्व किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि यदि राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की तकनिकी त्रुटी रही है तो स्वीकार्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए कि खसरा नम्बर 17 का डायग्राम में रकबा 0.04 हैक्टर कम दर्ज हुआ है तथा पटवारी हल्का से उपरोक्त जानकारी करने पर पाया कि उपरोक्त भूमि का डायग्राम से माप करने पर भूमि 0.32 हैक्टर के स्थान पर 0.28 है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। उपलब्ध रेकार्ड एवं उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि उपरोक्त भूमि ग्राम त्रिसिंङ्गा के खसरा नम्बर 17 रकबा 0.32 हैक्टर में डायग्राम से माप करने से 0.28 हैक्टर को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रस्तुत परिशिष्ट "क" अनुसार नक्शे मे डायग्राम की दुरूस्ती सही किया जाना न्यायोचित है। जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित होने से स्वीकार योग्य है।

आदेश

ग्राम त्रिसिंङ्गा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 17 रकबा 0.32 हैक्टर राजस्व नक्शे का डायग्राम को प्रस्तुत परिशिष्ट "क" एवं मौके के अनुसार राजस्व नक्शे मे दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुचामन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 10/2/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:38 IST
Reason: SelfAttested